



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 43765 सन् 2025

जीशान

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता	:-	राहुल कुमार
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:-	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री यागवल्क्य पांडेय, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से मामला अपराध संख्या 169 of 2025, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के अंतर्गत, थाना दुमरियागंज, जिला सिद्धार्थनगर में जमानत पर विस्तार हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामला अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने कहा कि एफ.आई.आर. एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी और आवेदक का नाम अन्वेषण के दौरान सामने आया। उन्होंने कहा कि पशुओं के वध का आरोप असत्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान आवेदक के कब्जे से कोई गोवंश, गोमांस या कोई अन्य आरोपकारी वस्तु बरामद नहीं हुई है। आवेदक पशुओं के क्रय-विक्रय के व्यवसाय में संलिप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र या सार्वजनिक साक्षी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक दिनांक 19.09.2025 से जेल में बंद है और जमानत पर रिहा होने की दशा में न्याय के मार्ग से फरार होने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि आवेदक का दो अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है जिसकी व्याख्या जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में की गई है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान ए.जी.ए. ने कड़ा विरोध किया किंतु इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक के कब्जे से कोई आरोपकारी वस्तु बरामद नहीं हुई है।

5. इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथमदृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. अभियुक्त-आवेदक **जीशान**, जो उपर्युक्त मामला अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसी राशि की व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें धमकी नहीं देगा और विचारण में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधोस्तरीय न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8 जनवरी, 2026

पी.के.एस.

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)